संख्या : यू0ओ0 7/8(2)/XXXVI(1)/06

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

न्याय विभाग : देहरादून, दिनांक 04 अगस्त, 2006

विषय : श्री रतन सिंह, अधिवक्ता को आपराधिक मामलों के संचालन हेतु नामिका वकील के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–200/23/20–न्याय सहा0 /2006 दिनांक 03.02.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ऊधमसिंह नगर में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष फौजदारी वादों के संचालन हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री रतन सिंह, अधिवक्ता को शासनादेश संख्या–43–एक(1)/न्याय अनुभाग/2003, दिनांक 26–2–2003 द्वारा नामिका वकील हेतु निर्धारित फीस की दरों पर नामिका वकील के रूप में आबन्धन–पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक 8–8–2006 से एक वर्ष की अवधि के लिए आबद्ध किया जाता है। उनका आबन्धन पत्र एतद् संलग्न है।

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित अधिवक्ता का आबन्धन–पत्र उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराते हुए उनसे लिखित सहमति, आयु का प्रमाण पत्र, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा उनके आवास का विवरण प्राप्त कर शासन को यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

3– श्री रतन सिंह यदि इस समय शपथ–आयुक्त, नोटरी या इस प्रकार के अन्य किसी शासकीय पद अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत हो, तो उनसे उक्त पद से त्याग पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा इसकी सूचना शासन को भी दी जाय।

4– मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि यदि आबद्ध अधिवक्ता लिखित सहमति तथा अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो आप मजिस्ट्रेट न्यायालय में फौजदारी वादों का संचालन नामिका वकील के रूप में उक्त अधिवक्ता से प्रारम्भ करा दें।

भवदीया,

संलग्नक : यथोपरि

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव

संख्या : यू0ओ0 7/8(1)/XXXVI(1)/06, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2– जिला न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर।
3– कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4– सम्बन्धित अधिवक्ता।
5– एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या : यू0ओ0 /छत्तीस(1)/06 का सलग्नक

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्री रतन सिंह,
एडवोकेट,
पुत्र श्री रुप चन्द,
सिविल कोर्ट परिसर,
जिला उधमसिंह नगर।

न्याय विभाग : देहरादून, दिनांक 04 अगस्त, 2006

विषय : आपराधिक मामलो के संचालन हेतु नामिका वकील के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जिला उधमसिंह नगर के मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष फौजदारी वादों में सरकार या उसके अधिकारियों की ओर से फौजदारी वादों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–43–एक(1)/न्याय अनुभाग/2003, दिनांक 26 फरवरी, 2003 द्वारा नामिका वकील हेतु निर्धारित फीस की दरों पर आपको नामिका वकील के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए आबद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि राज्य सरकार किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए इस आबद्धता को समाप्त कर सकती है। आप इस आशय का प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे कि इस शर्त में आपको कोई आपत्ति नहीं है।

3– अतः मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि यदि आप उक्त नामिका वकील के पद पर कार्य करना चाहें, तो कृपया अपनी लिखित सहमति, आयु का प्रमाण–पत्र तथा अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि और अपने आवास का विवरण जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4– मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि यदि आपने इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रस्तर–3 के अनुसार प्रमाण–पत्र, सहमति प्रस्तुत नहीं की, तो इस आबन्धन का प्रस्ताव स्वतः समाप्त माना जायेगा।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आपकी सहमति एवं उपरोक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से आपके आबन्धन की अवधि प्रारम्भ होगी और उसी दिन से नामिका वकील के रूप में कार्य प्रारम्भ करेंगे। आपके कार्यकाल की अवधि अधिकतम दिनांक 07–08–2007 तक रहेगी।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)
सचिव